संख्या:01/2022/I/128559/2022/46-1002(002)/6/2021

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2022

विषय- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू.25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया अपने पत्र संख्या:109/लेखा-बजट/2021-22, दिनांक 15-11-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू.708.22लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या:25/2021/I/69330/2021/46-1002(002)/6/2021, दिनांक 09-06-2021 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू.118.00 लाख** की स्वीकृति के पश्चात अवशेष धनराशि रू.590.22 के सापेक्ष संबंधित केन्द्रों के **विद्युत व्ययों के भुगतान** हेतु द्वितीय किश्त के रूप में **धनराशि रू.25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र)** को आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसे यथा आवश्यकता आहरित करके निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को व्यय/उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। साथ ही वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय एवं मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ एवं शासन को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस (डिपाजिट खाते) में नहीं रखी जायेगी।

(5) वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों एवं कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(7) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना एवं आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग एवं उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या: 24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-2289-दस-20212022, दिनांक 03 जनवरी, 2022 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

संख्या:01/2022/I/128559/2022 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला-कोषागार, शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. प्रभारी निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज ।
7. वित्त-लेखा अधिकारी, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।